NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 1-05-2026

विषय सूची

कोमागाटा मारू घटना

ऑनलाइन गेमिंग शासन का एक नया युग

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि

नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के लिए गर्भपात की समय सीमा हटाएँ: सर्वोच्च न्यायालय"

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025' रिपोर्ट

संक्षिप्त समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव

यूरोपीय संघ–मर्कोसुर व्यापार समझौता

"पूर्व जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA)

प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा

मानव जीनोम डिकोडर का निधन

विमानन टरबाइन ईंधन (ATF)

पंचायती प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट

कोमागाटा मारू घटना

समाचारों में

- हाल ही में एक पंजाबी गायक ने 1914 में कनाडा द्वारा भारतीयों को अस्वीकार किए जाने वाली *कोमागाटा मारू घटना* की तुलना अपने सोल्ड आउट संगीत कार्यक्रम से की, ताकि यह दिखाया जा सके कि समय के साथ दृष्टिकोण किस प्रकार बदल गए हैं।

कोमागाटा मारू घटना

- कोमागाटा मारू (जिसे गुरु नानक जहाज़ भी कहा जाता है) एक जापानी भाप-जहाज़ था जिसे 1914 में गुरदित सिंह ने चार्टर किया था। इसमें 376 भारतीय यात्री कनाडा में बेहतर अवसरों की खोज में जा रहे थे।
- बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पंजाब ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल और महामारियों का सामना कर रहा था, जिसके कारण अनेक पूर्व सैनिक और किसान जीविका हेतु विदेश प्रवास करने लगे।
- अधिकांश यात्री सिख थे, साथ ही मुस्लिम और हिंदू भी थे, जिन्हें कनाडा के कठोर आव्रजन कानूनों का सामना करना पड़ा।
- वैंकूवर पहुँचने पर केवल 24 यात्रियों को उतरने की अनुमति दी गई, शेष को जहाज़ पर ही अपर्याप्त भोजन, पानी और चिकित्सीय सहायता के साथ रोक दिया गया।
- प्रशासन द्वारा जहाज़ को जब्त करने के प्रयासों का विरोध किया गया, और स्थानीय समर्थन समूह ने कानूनी चुनौती हेतु धन एकत्र किया, किंतु अंततः जहाज़ को वापस लौटने के लिए विवश किया गया।

यात्रियों को प्रवेश से वंचित करने के कारण

- भारत और कनाडा दोनों ब्रिटिश शासन के अधीन थे, अतः भारतीय यात्रियों को विश्वास था कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है।
- किन्तु 1908 में कनाडा ने "निरंतर यात्रा नियम" लागू किया, जिसके अनुसार प्रवासियों को अपने मूल देश से बिना किसी ठहराव के सीधे पहुँचना आवश्यक था—जो भारत से व्यावहारिक रूप से असंभव था।
- यह नियम 1907 के वैंकूवर दंगों (एशियाटिक एक्सक्लूज़न लीग द्वारा प्रेरित) के बाद एशियाई प्रवास को सीमित करने हेतु बनाया गया था, जिसका विशेष लक्ष्य भारतीयों सहित एशियाई समुदाय था।

भारत में वापसी

- वैंकूवर से निष्कासित किए जाने और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अन्य बंदरगाहों पर प्रवेश से वंचित होने के बाद जहाज़ को भारत वापस भेज दिया गया।
- कोलकाता के निकट बालीगंज (बज-बज) में ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को पंजाब भेजने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने विरोध किया और शहर की ओर कूच किया। सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसमें 20 लोग मारे गए और कई घायल हुए। गुरदित सिंह प्रारंभ में बच निकले, परंतु बाद में महात्मा गांधी की सलाह पर आत्मसमर्पण किया और पाँच वर्ष के लिए कारावास में रहे।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव

- कोमागाटा मारू घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारतीयों के द्वारा समाना किए जा रहे नस्लीय भेदभाव को उजागर किया—पहले कनाडा में और बाद में भारत में।
- यात्रियों के साथ हुई अपमानजनक घटनाओं और हिंसा ने यह विश्वास दृढ़ किया कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीयों को समान अधिकार नहीं मिल सकते। इससे सुधारों की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की माँग को बल मिला।
- इस घटना ने ग़दर पार्टी जैसे क्रांतिकारी समूहों को भी प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की धारणा को प्रोत्साहित किया।

स्रोत :TH

ऑनलाइन गेमिंग शासन का एक नया युग

संदर्भ

- भारत ने अपने तीव्र गति से विस्तार कर रहे ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने के निर्णायक चरण में प्रवेश किया है। इसके लिए 2026

में *ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन नियम* अधिसूचित किए गए हैं, जो 2025 के *ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम* को क्रियान्वित करते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के बारे में

- ऑनलाइन गेमिंग से आशय इंटरनेट पर उपलब्ध उन खेलों से है जिन्हें स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे उपकरणों पर खेला जा सकता है। इसमें मनोरंजन आधारित सामान्य खेल और दांव-प्रत्याशा वाले वास्तविक धन आधारित खेल (RMG) दोनों शामिल हैं।
- (MeitY, IT Rules 2023) विश्वभर में लगभग 80% खिलाड़ी वयस्क हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह 18–34 वर्ष आयु वर्ग का है, जबकि औसत खिलाड़ी की आयु मध्य-30 के आसपास है।
- मोबाइल गेमिंग प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 3.6 अरब खिलाड़ी हैं।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की वृद्धि

- भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार 2024 में ₹232 अरब तक पहुँच गया और 2027 तक इसके ₹316 अरब तक बढ़ने की संभावना है।
- लगभग 77% राजस्व लेन-देन आधारित खेलों से आता है, जो मुद्रीकृत प्रारूपों की प्रधानता को दर्शाता है। इस क्षेत्र में ई-स्पोर्ट्स (प्रतिस्पर्धी गेमिंग), ऑनलाइन सामाजिक खेल (सामान्य, कौशल आधारित), और ऑनलाइन धन-आधारित खेल शामिल हैं।
  - धन-आधारित खेलों ने लत, धोखाधड़ी और सामाजिक हानियों को उत्पन्न किया है, जिससे करोड़ों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेल नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

नए शासन ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँ

- **खेलों का स्पष्ट वर्गीकरण:** सुरक्षित (ई-स्पोर्ट्स/सामाजिक) और हानिकारक (धन-आधारित) खेलों में अंतर कर लक्षित विनियमन और प्रवर्तन को सक्षम बनाना।
- **ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध:** इसमें संयोग, कौशल या मिश्रित रूप वाले सभी धन-आधारित खेल शामिल हैं। मेज़बानी, भागीदारी, विज्ञापन, प्रचार और वित्तीय लेन-देन पर रोक।

- **सुदृढ़ नियामक तंत्र:** एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो मंचों की निगरानी, शिकायत निवारण और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- **उपयोगकर्ता संरक्षण उपाय:** आयु सत्यापन, वित्तीय सुरक्षा जाँच और मंच की जवाबदेही जैसे अनिवार्य प्रावधान, ताकि व्यसन, धोखाधड़ी एवं शोषण रोका जा सके।
- **दंडात्मक प्रावधान:** उल्लंघन पर 3–5 वर्ष तक कारावास, ₹2 करोड़ तक जुर्माना, और पुनरावृत्ति करने वालों व विज्ञापनदाताओं पर कठोर कार्रवाई।
- **भारत का ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण:** MeitY के अधीन एक संलग्न कार्यालय के रूप में गठित, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्षता MeitY के अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है।
  - यह एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा और बहु-क्षेत्रीय संरचना में होगा।

सुधार के पीछे तर्क

- **सामाजिक हानियों का समाधान:** ऑनलाइन धन-आधारित खेलों से जुड़े अनुमानित ₹20,000 करोड़ के नुकसान, लत, ऋण और आत्महत्याओं ने त्वरित कार्रवाई आवश्यक बनाई।
- **नियामक शून्यता:** पहले गेमिंग विनियमन राज्य-विशिष्ट और विखंडित था, जिससे अस्पष्टता उत्पन्न होती थी।
- **वृद्धि और सुरक्षा का संतुलन:** ई-स्पोर्ट्स और डिजिटल मनोरंजन में नवाचार को बढ़ावा देना, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करना।

शासन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

- **क्षेत्र का औपचारिककरण:** स्पष्टता लाना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और अनुपालन सुनिश्चित करना।
- **ई-स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** ई-स्पोर्ट्स को वैध उद्योग के रूप में मान्यता देना, जो वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप है।
- **डिजिटल शासन को सुदृढ़ करना:** यह भारत की मंच विनियमन और डिजिटल जवाबदेही की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।
- **उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण:** लाभ-प्रेरित गेमिंग मॉडल की बजाय उपयोगकर्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देना।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **पूर्ण प्रतिबंध पर परिचर्चा:** कौशल-आधारित धन-खेलों पर प्रतिबंध से उद्योग का राजस्व प्रभावित हो सकता है और उपयोगकर्ता अवैध/विदेशी मंचों की ओर जा सकते हैं।
- **प्रवर्तन की जटिलता:** सीमा-पार मंचों की निगरानी और डिजिटल भुगतान व क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन कठिन।
- **संघीय मुद्दे:** जुआ परंपरागत रूप से राज्य सूची में आता है, जिससे केंद्र-राज्य तनाव की संभावना।
- **स्टार्टअप पर प्रभाव:** अचानक नियामक बदलाव से गेमिंग स्टार्टअप्स में रोजगार और नवाचार प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026 भारत के डिजिटल शासन में एक दृष्टिकोण परिवर्तन का संकेत देते हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और नवाचार-हितैषी गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- इसकी दीर्घकालिक सफलता संतुलित क्रियान्वयन, हितधारक सहभागिता और अनुकूलनशील नीति-निर्माण पर निर्भर करेगी, जबकि यह ढाँचा सामाजिक चिंताओं का समाधान करेगा।
- आवश्यक है कि कौशल और संयोग में स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित किए जाएँ, अवैध मंचों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ किया जाए, जिम्मेदार गेमिंग जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, ई-स्पोर्ट्स और एआई-आधारित गेमिंग में विनियमित नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए, तथा स्वतंत्रता व नियंत्रण के संतुलन हेतु नियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए।

स्रोत: PIB

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि

संदर्भ

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 80वें दौर के स्वास्थ्य पर घरेलू उपभोग सर्वेक्षण ने देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित किया है।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):** सार्वजनिक संस्थानों में बाह्य रोगी देखभाल हेतु शून्य OOPE दर्ज किया गया, जो आवश्यक सेवाओं की निःशुल्क उपलब्धता को दर्शाता है।
  - सरकारी अस्पतालों में 50% से अधिक रोगियों का OOPE ₹1,100 से कम रहा।
- **स्वास्थ्य-खोजी व्यवहार का सुदृढ़ीकरण:** रोगों की रिपोर्ट करने वाली अनुमानित जनसंख्या (PPRA) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता और रिपोर्टिंग व्यवहार को दर्शाता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में PPRA 2017–18 के 6.8% से बढ़कर 2025 में 12.2% हुआ।
- शहरी क्षेत्रों में यह 9.1% से बढ़कर 14.9% हुआ।

- **मातृ स्वास्थ्य में सुधार:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव 95.6% तक पहुँचा।
  - शहरी क्षेत्रों में यह 97.8% तक पहुँचा।
- **स्वास्थ्य बीमा कवरेज:** सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज 12.9% से बढ़कर 45.5% हुआ।
  - शहरी क्षेत्रों में यह 8.9% से बढ़कर 31.8% हुआ।

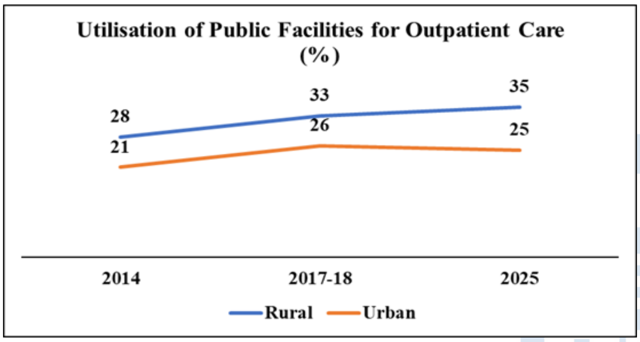

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **सीमित निदान पहुँच:** निदान सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक पहचान सीमित रहती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** ग्रामीण क्षेत्रों में सुसज्जित अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की कमी है।
- **सार्वजनिक व्यय में वृद्धि:** भारत का स्वास्थ्य व्यय GDP का लगभग 3.8% है, जिसमें OOPE और सार्वजनिक व्यय शामिल हैं।
- **प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी:** डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मियों की गंभीर कमी है।
- **डॉक्टर-रोगी अनुपात:** भारत में यह मात्र 0.7 डॉक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या है, जबकि WHO का औसत 2.5 डॉक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या है।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच हेतु सरकारी पहल

- **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
  - 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को आय स्तर या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना कवरेज मिलता है।
- **सस्ती दवाएँ और निदान:**
  - प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
  - AMRIT फार्मेसियाँ आवश्यक दवाएँ और चिकित्सा उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** 2016 में शुरू की गई यह योजना गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल उपलब्ध कराती है।
- **स्वस्थ भारत पोर्टल:** एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही इंटरफ़ेस पर लाता है।
- **ई-संजीवनी:** दूरस्थ परामर्श की सुविधा प्रदान करता है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **रोग नियंत्रण और लक्षित कार्यक्रम:**
  - राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ने पहचान, उपचार कवरेज और क्षय रोग की घटनाओं में कमी लाई है।
  - राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने हेतु स्क्रीनिंग और उपचार पर केंद्रित है।
  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे OOPE में कमी आती है।

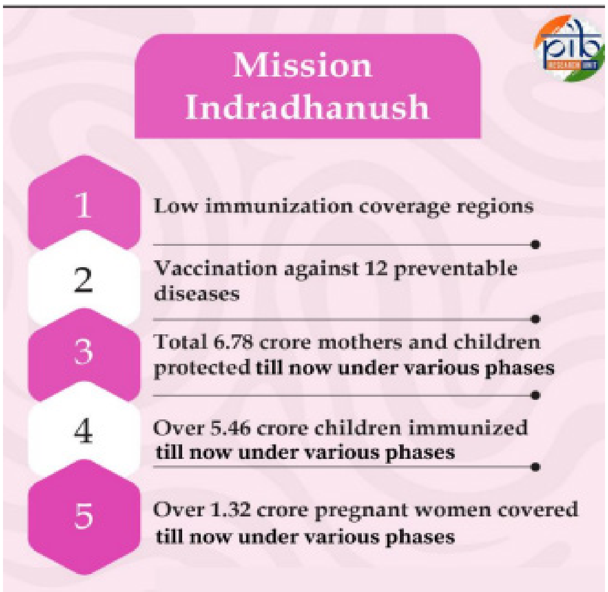

आगे की राह

- **जनशक्ति की कमी दूर करना:** ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
- **डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ उठाना:** आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी पहल का विस्तार कर दक्षता, डेटा प्रबंधन और सेवा वितरण में सुधार किया जाना चाहिए।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाना:** अवसंरचना, निदान और विशेषज्ञ सेवाओं को शहरी केंद्रों से आगे बढ़ाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्रोत: AIR

नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के लिए गर्भपात की समय सीमा हटाएँ: सर्वोच्च न्यायालय"

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह गर्भपात कानून में संशोधन करे ताकि नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में अवांछित गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति पर समय सीमा को हटाया जा सके।

परिचय

- न्यायालय ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने सरकार द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका पर विचार करने से मना किया। यह याचिका हाल ही में न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध थी जिसमें 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय डॉक्टरों या राज्य का नहीं है कि पीड़िता के लिए क्या सर्वोत्तम है।
    - निर्णय पीड़िता और उसके माता-पिता पर छोड़ना चाहिए।

भारत में गर्भपात (MTP)

- **MTP अधिनियम:** गर्भपात को कुछ पूर्वनिर्धारित परिस्थितियों में अनुमति देता है।
- 1971 में MTP अधिनियम लागू होने से पूर्व गर्भपात भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत आता था।
    - अधिकांश प्रावधान गर्भपात को अपराध मानते थे, सिवाय उन मामलों के जहाँ महिला का जीवन बचाने के लिए यह किया जाता था।
    - इन प्रावधानों ने इच्छित और अनिच्छित गर्भधारण में भेद नहीं किया, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच कठिन हो गई।
- 1971 में संसद ने इसे स्वास्थ्य उपाय के रूप में पारित किया ताकि कुछ परिभाषित परिस्थितियों में गर्भपात को अपराधमुक्त किया जा सके।
- **धारा 3(2):** गर्भधारण केवल 20 सप्ताह तक ही समाप्त किया जा सकता था।
    - 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर की राय पर्याप्त थी।
    - 12 से 20 सप्ताह तक दो डॉक्टरों की राय आवश्यक थी।
- **2021 संशोधन:**
    - नियम 3B ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी, विशेषकर विवाह स्थिति में परिवर्तन, बलात्कार पीड़िताओं और अन्य संवेदनशील महिलाओं के मामलों में।
    - "किसी विवाहित महिला या उसके पति" शब्दों को बदलकर "किसी महिला या उसके साथी" किया गया, जिससे विवाहेतर गर्भधारण भी कानून के दायरे में आ गया।

- 24 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, यदि भ्रूण में गंभीर असामान्यता हो।

MTP के पक्ष में तर्क

- **शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार:** महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
- **शारीरिक स्वास्थ्य:** यदि गर्भधारण महिला के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है तो गर्भपात उचित है।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** गर्भधारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, ऐसे में गर्भपात आवश्यक हो सकता है।
- **अजीवनीय भ्रूण:** यदि भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएँ हों तो गर्भपात नैतिक रूप से स्वीकार्य है।
- **अनियोजित गर्भधारण:** आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध होना सहायक है।
- **असुरक्षित गर्भपात में कमी:** कानूनी गर्भपात से असुरक्षित और अवैध गर्भपात की घटनाएँ कम होती हैं।

MTP के विरुद्ध तर्क

- **भ्रूण का जीवन अधिकार:** भ्रूण के जीवन के अधिकार का नैतिक प्रश्न उठता है।
- **भावनात्मक और मानसिक प्रभाव:** गर्भपात से महिला को दीर्घकालीन मानसिक आघात हो सकता है।
- **गैर-चिकित्सीय गर्भपात:** गर्भपात को जन्म नियंत्रण के साधन के रूप में सामान्यीकृत करने का खतरा।
- **दुरुपयोग का जोखिम:** जैसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात।
- **सामाजिक प्रभाव:** व्यापक गर्भपात से पारिवारिक और जीवन मूल्यों में गिरावट आ सकती है।
- **सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई सांस्कृतिक मान्यताएँ गर्भपात को नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानती हैं।

आगे की राह

- **गर्भपात देखभाल तक पहुँच:** MTP गोलियों को अधिक सुलभ बनाना और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना।
- **बेहतर यौन शिक्षा:** गर्भपात को स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखना, न कि कानूनी अपवाद के रूप में।
- **चिकित्सीय निर्णय में सहानुभूति:** डॉक्टरों को महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, विशेषकर देर से गर्भपात के मामलों में।

स्रोत: TH

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

संदर्भ

- 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सामान्यत: "मजदूर दिवस" कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

- इसे "मई दिवस" भी कहा जाता है, और कुछ क्षेत्रों में इसे मई के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
- यह दिवस श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक योगदान को मान्यता देने तथा वैश्विक स्तर पर श्रमिक अधिकारों और न्यायसंगत श्रम परिस्थितियों के लिए चल रहे संघर्ष पर ध्यान आकर्षित करने हेतु मनाया जाता है।
- इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका के श्रमिक आंदोलन से हुई।
  - 1 मई 1886 को अमेरिका भर में श्रमिकों ने आठ घंटे कार्यदिवस की माँग करते हुए हड़ताल की थी। इसी की स्मृति में 1 मई को चुना गया।
- भारत में प्रथम मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में "लेबर किसान पार्टी ऑफ़ हिंदुस्तान" द्वारा मनाया गया।
- कनाडा में प्रथम मजदूर दिवस 1872 में मनाया गया था, जो अमेरिका द्वारा आधिकारिक मान्यता देने से लगभग एक दशक पहले था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में वर्साय संधि के अंतर्गत हुई थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया।

- 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट एजेंसी बनी।
- भारत 1919 में ILO का संस्थापक सदस्य बना, स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही।
- इसके 187 सदस्य राष्ट्र हैं।
- यह श्रम मानक तय करता है, नीतियाँ विकसित करता है और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम बनाता है।
- यह एकमात्र त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

भारत में श्रम बाज़ार की प्रमुख विशेषताएँ

- **अर्थव्यवस्था की द्वैध संरचना:**
  - औपचारिक क्षेत्र: नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतन और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र: असंगठित और असुरक्षित है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** लगभग 80–90% कार्यबल असंगठित रोजगारों में संलग्न है, जैसे दैनिक मज़दूरी, लघु कृषि, सड़क पर सामान बेचना और घरेलू कार्य।
- **कृषि पर उच्च निर्भरता:** लगभग 40–45% कार्यबल कृषि में संलग्न है, जबकि कृषि का GDP में योगदान अपेक्षाकृत कम है। इससे "छिपी हुई बेरोज़गारी" उत्पन्न होती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा है। यह आर्थिक विकास का अवसर है, बशर्ते पर्याप्त रोजगार सृजित हों और कार्यबल को उचित कौशल प्रदान किया जाए।
- **महिला श्रम भागीदारी कम:** वैश्विक मानकों की तुलना में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर काफी कम है।

भारत के श्रम बाज़ार की प्रमुख चुनौतियाँ

- **रोज़गार का अनौपचारिकीकरण:** औपचारिक क्षेत्र में भी संविदात्मक और अस्थायी श्रमिकों का उपयोग बढ़ रहा है।
- **रोजगारविहीन विकास:** उच्च GDP वृद्धि के बावजूद रोजगार में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई।
- **कौशल असंगति:** श्रमिकों के पास वर्तमान कौशल और उद्योगों की माँग में बड़ा अंतर है।
- **क्षेत्रीय असमानता और प्रवासन:** राज्यों में आर्थिक अवसर असमान रूप से वितरित हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है।
- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं को कम भागीदारी दर, वेतन असमानता और सीमित करियर अवसरों का सामना करना पड़ता है।

भारत में श्रम कानून

- भारत सरकार ने 29 वर्तमान श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाते हुए 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है:
  - **वेतन संहिता, 2019:** वेतन, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक को नियंत्रित करती है।
  - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** ट्रेड यूनियन, रोजगार शर्तें, छँटनी और विवाद समाधान से संबंधित है।
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी से संबंधित कानूनों को एकीकृत करती है।
  - **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020:** सुरक्षा, कार्य समय, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित नियमों को समेकित करती है।
- श्रम कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होते हैं, हालाँकि असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण है।
- प्रवर्तन एजेंसियों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्य श्रम विभाग और विशिष्ट बोर्ड (जैसे EPFO, ESIC) शामिल हैं।

निष्कर्ष

- भारत का श्रम बाज़ार संरचनात्मक चुनौतियों और उभरते अवसरों का मिश्रण प्रस्तुत करता है।

- देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, उत्पादक एवं सतत रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

स्रोत: AIR

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025' रिपोर्ट

समाचार में

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपनी प्रकाशन श्रृंखला का 27वाँ संस्करण जारी किया है, जिसका शीर्षक है "भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025: चयनित संकेतक और आँकड़े"।

'भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025' रिपोर्ट सार:

- यह रिपोर्ट भारत में लैंगिक परिस्थितियों का व्यापक सांख्यिकीय अवलोकन प्रस्तुत करती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों से प्राप्त आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है।
- इसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय-निर्माण और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक-विभाजित आँकड़े सम्मिलित किए गए हैं।
- इसमें 50 प्रमुख संकेतक शामिल हैं, जिनके साथ विस्तृत मेटाडाटा दिया गया है, जो परिभाषाओं, स्रोतों और विधियों को स्पष्ट करता है।
- रिपोर्ट ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों एवं समय के साथ आँकड़े प्रस्तुत करती है, जिससे लैंगिक अंतराल की तुलना और प्रवृत्तियों का आकलन संभव होता है।

प्रकाशन की प्रमुख विशेषताएँ

- **लिंगानुपात:** जन्म के समय लिंगानुपात अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा है, जो महिलाओं की बेहतर जीवित रहने की स्थिति को दर्शाता है। यह 2017–19 में 904 से बढ़कर 2021–23 में 917 हुआ।
- **शिशु मृत्यु दर:** 2008 से 2023 के बीच बालिका और बालक दोनों के लिए शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय एवं सतत कमी दर्ज की गई है।

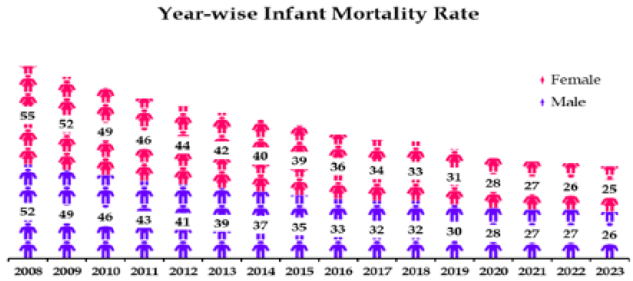

- **शिक्षा में लैंगिक समानता:** प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त हो चुकी है।

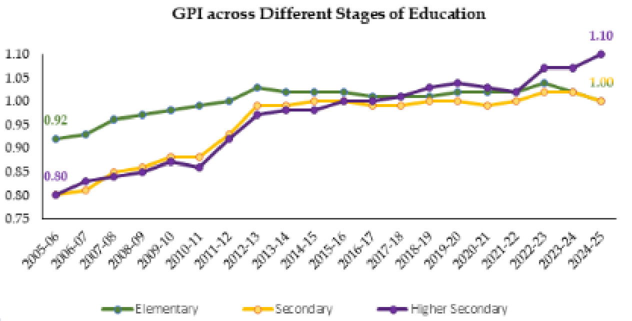

- **उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात:** 2021–22 से 2022–23 के बीच महिलाओं के लिए यह 28.5 से बढ़कर 30.2 हुआ, जबकि पुरुषों के लिए 28.3 से बढ़कर 28.9 हुआ।

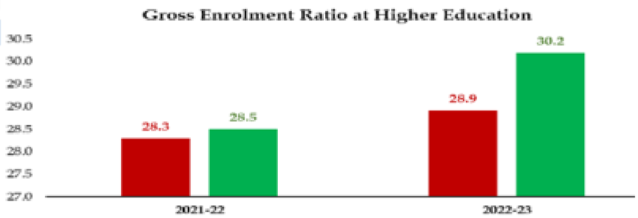

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR में वृद्धि हुई है।
  - ग्रामीण महिलाओं में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो 2022 से 2025 के बीच 37.5% से बढ़कर 45.9% हुई।
- **नेतृत्व भूमिकाएँ:**
  - 2017 से 2025 के बीच प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत पुरुषों में 73.80% की वृद्धि हुई।
  - इसी अवधि में प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत महिलाओं में 102.54% की वृद्धि हुई।

महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख कदम

- **संवैधानिक और कानूनी ढाँचा:**
    - भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।
    - अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव को निषिद्ध करता है।
    - अनुच्छेद 51(क)(ई) नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को त्यागने हेतु प्रेरित करता है।
    - अनुच्छेद 39 और 42 समान आजीविका अवसर, समान वेतन एवं मातृत्व राहत पर बल देते हैं।
- **पोषण अभियान (2018):** बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार हेतु प्रमुख कार्यक्रम।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका के जीवन और शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु योजना।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** गर्भावस्था और प्रसव के कारण मजदूरी हानि की भरपाई हेतु वित्तीय सहायता।
    - अब यह योजना दूसरे बच्चे (यदि बच्ची हो) तक विस्तारित की गई है।
- **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा सुधार हेतु।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs):** सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय।
- **विज्ञान ज्योति:** ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी बालिकाओं को STEM करियर हेतु प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम।
- **NAVYA (2025):** किशोरियों (16–18 वर्ष, कक्षा 10 उत्तीर्ण) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
- **मिशन शक्ति:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना, जिसमें दो घटक हैं—
    - संबल: सुरक्षा और संरक्षा।
    - समर्थ्य: सशक्तिकरण।

स्रोत :DD News

संक्षिप्त समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव

संदर्भ

- आगामी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव जारी है।

महासचिव के रूप में भूमिका

- महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सचिवालय के कार्यों की देखरेख करता है और संगठन के प्रमुख अंगों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करता है।
- महासचिव को सुरक्षा परिषद के ध्यान में किसी भी ऐसे मुद्दे को लाने का अधिकार है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा पहुँचाता हो।
- उन्हें प्रायः विश्व का "मुख्य राजनयिक" कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़, जलवायु परिवर्तन और स्थायी असमानता जैसे मुद्दों पर विश्व की अंतरात्मा के रूप में बोलते हैं।
- **चुनाव:** महासचिव को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है।

- इसका अर्थ है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यू.के., और यू.एस.) चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यद्यपि कार्यकाल तकनीकी रूप से "विवेकाधीन" है, 1981 से पदधारियों ने स्वेच्छा से स्वयं को दो कार्यकाल तक सीमित रखा है।
- परंपरा के अनुसार यह पद पाँच क्षेत्रों में घूमता है: अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और लैटिन अमेरिका व कैरेबियन।

स्रोत: TH

यूरोपीय संघ–मर्कोसुर व्यापार समझौता

समाचार में

- यूरोपीय संघ (EU) और मर्कोसुर ने लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को लागू करना शुरू कर दिया है, जो 1 मई से अस्थायी रूप से लागू हुआ है, यद्यपि राजनीतिक और कानूनी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मर्कोसुर

- यह दक्षिणी साझा बाज़ार है, जिसकी स्थापना 1991 में वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और लोगों की मुक्त आवाजाही के उद्देश्य से हुई थी।
- जनवरी 1995 में यह एक सीमा शुल्क संघ बन गया।
- इसके सदस्य: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे।
- वेनेज़ुएला 2012 में जुड़ा, परंतु 2017 में निलंबित कर दिया गया।
  - बोलीविया का प्रवेश प्रोटोकॉल 2015 में हस्ताक्षरित हुआ और जुलाई 2024 में अनुमोदन पत्र सौंपा गया।
  - इसे 4 वर्षों में ब्लॉक के नियमों को अपनाना होगा।

EU–मर्कोसुर व्यापार समझौता

- मर्कोसुर EU की 91% वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करेगा।
- EU मर्कोसुर की 92% वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करेगा।
- कार, औषधि और कृषि-खाद्य उत्पादों पर तत्काल शुल्क कटौती होगी।
- कृषि क्षेत्र में EU की कृषि-खाद्य निर्यात में वृद्धि होगी।
- 344 EU भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- **समर्थक:** जर्मनी और स्पेन का मानना है कि यह समझौता अमेरिका के शुल्कों से हुए नुकसान की भरपाई करेगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा।
- **आलोचक:** फ्रांस और अन्य का कहना है कि इससे सस्ता गोमांस और चीनी आयात बढ़ेगा, जिससे घरेलू किसानों को हानि होगी पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे वर्षावन विनाश बढ़ेगा।

भारत–मर्कोसुर PTA

- भारत का मर्कोसुर के साथ सीमित वरीयता व्यापार समझौता (PTA) है, जो केवल 450 वस्तुओं को कवर करता है। EU–मर्कोसुर समझौता भारत को अपने "व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते" (CEPA) को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

स्रोत: TH

पूर्व जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA)

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्तीय बाज़ारों में पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण बढ़ाने हेतु "पूर्व जोखिम और प्रतिफल सत्यापन एजेंसी (PaRRVA) को क्रियान्वित किया है।

संस्थागत ढाँचा

- SEBI ने अप्रैल 2025 में PaRRVA हेतु नियामक संरचना और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।
- CARE रेटिंग्स लिमिटेड को प्रथम PaRRVA निकाय मान्यता दी गई है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PaRRVA डेटा सेंटर (PDC) के रूप में कार्य करेगा।

PaRRVA क्या है?

- यह SEBI-नियंत्रित सत्यापन तंत्र है, जिसका उद्देश्य है:

- बाज़ार मध्यस्थों के पिछले जोखिम और रिटर्न प्रदर्शन का प्रमाणीकरण।
- रिटर्न प्रस्तुत करने की पद्धति का मानकीकरण।
- निवेशकों को विश्वसनीय, तुलनीय और पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराना।

- **अनिवार्य पंजीकरण और अनुपालन:** निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों को तीन माह के भीतर PaRRVA में पंजीकरण करना होगा।
    - दो वर्ष की संक्रमण अवधि के बाद केवल PaRRVA-प्रमाणित प्रदर्शन डेटा का सार्वजनिक संचार में उपयोग किया जा सकेगा।
- **महत्व:** निवेशकों को सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होगी।
    - गलत जानकारी और गलत बिक्री से जुड़े जोखिम कम होंगे।
- **विज्ञापनों में उपयोग:** बाज़ार मध्यस्थ PaRRVA-प्रमाणित प्रदर्शन आँकड़ों का विज्ञापनों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्रचार दावे विश्वसनीय और SEBI विनियमों के अनुरूप होंगे।

स्रोत: AIR

प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा

संदर्भ

- कच्छ के बन्नी घासभूमि में दशकों से जैव विविधता के लिए खतरा बनी *प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा* को अब मेथनॉल में परिवर्तित किया जाएगा।

परिचय

- *प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा* को विश्व की "शीर्ष 100 आक्रामक प्रजातियों" में शामिल किया गया है।
- इसे शीघ्र ही हरित मेथनॉल और समुद्री जहाज़ों के ईंधन उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
- इस पौधे को पहली बार ब्रिटिशों ने 1920 के दशक में दिल्ली को हरित बनाने के लिए लगाया था।
- गुजरात वन विभाग ने 1961 में इसे रण के फैलते हुए लवणीय मरुस्थल को रोकने के लिए लगाया।
- अब यह खरपतवार भारत के पहले हरित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का कच्चा माल बनेगा।

स्रोत: TH

मानव जीनोम डिकोडर का निधन

समाचार में

- मानव जीनोम को डिकोड करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जे. क्रेग वेंटर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

मानव जीनोम

- मानव जीनोम प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला DNA का संपूर्ण सेट है।
    - इसमें लगभग 3.05 अरब बेस पेयर्स होते हैं, जो चार रासायनिक आधारों—एडेनिन (A), थाइमिन (T), साइटोसिन (C), और ग्वानिन (G)—से बने होते हैं।
- जीनोम अनुक्रमण इन बेस पेयर्स के क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
    - इसका उपयोग चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में आनुवंशिक रोगों की पहचान, रोग जोखिम का पता लगाने और प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग में किया जाता है।
    - यह CRISPR आधारित जीन संपादन, कैंसर की प्रारंभिक पहचान हेतु लिक्विड बायोप्सी और बड़े पैमाने पर जनसंख्या अध्ययन जैसी तकनीकों को सक्षम बनाता है।
    - संक्रामक रोग नियंत्रण में भी यह उपयोगी है। COVID-19 महामारी के दौरान वायरस के जीनोम का त्वरित अनुक्रमण निदान, वैरिएंट निगरानी और टीका विकास में सहायक रहा।

मानव जीनोम परियोजना

- मानव जीनोम परियोजना, जिसे 1990 में प्रारंभ किया गया था, ने 2003 में लगभग पूर्ण मानव जीनोम अनुक्रम प्रस्तुत किया और 2023 में इसका परिष्कृत संस्करण जारी किया गया, जिसमें लगभग 0.3% अनिश्चितता शेष रही।
- यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल थी, जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण और अनुक्रमण करना था।

- 2003 तक, इसने जीनोम के 90% से अधिक हिस्से को कवर करने वाला अनुक्रम तैयार किया, जो उस समय की तकनीक से संभव सबसे पूर्ण संस्करण था।
- इस परियोजना ने विज्ञान में खुले डेटा साझा करने को बढ़ावा दिया और आनुवंशिक जानकारी से संबंधित चिंताओं के कारण जैव-चिकित्सीय अनुसंधान में नैतिक मानकों को सुदृढ़ किया।

क्या आप जानते हैं?

- **'जीनोमइंडिया' (GENOMEINDIA)**, जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित किया गया है, ने देशभर के सभी प्रमुख जनसंख्या समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 से अधिक व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) डेटाबेस पूरा कर लिया है।
- जीनोमइंडिया डेटा भारत सरकार की वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह भारत तथा विश्व में स्वास्थ्य एवं विज्ञान को पुनः आकार देने की दिशा में अग्रसर है। यह सतत विकास को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ज्ञान को लोकतांत्रिक और व्यापक रूप से प्रसारित करता है।

स्रोत: IE

विमानन टरबाइन ईंधन (ATF)

संदर्भ

- इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने सरकार से ATF की मूल्य निर्धारण सूत्र की समीक्षा करने का आग्रह किया है, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं।

भारत में ATF मूल्य निर्धारण की अर्थव्यवस्था

- भारत में ATF का मूल्य आयात समानता मूल्य निर्धारण (IPP) पर आधारित है।
- यद्यपि इसका बड़ा हिस्सा घरेलू रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित होता है, फिर भी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जुड़ी रहती हैं।
- ATF भारतीय एयरलाइनों के परिचालन व्यय का लगभग 40% है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।
- ATF GST से बाहर है और उस पर उच्च राज्य VAT (30% तक) लगता है।

ATF के बारे में

- यह गैस-टरबाइन इंजनों में प्रयुक्त उच्च-प्रदर्शन पेट्रोलियम डिस्टिलेट है।
- यह रंगहीन, केरोसीन-आधारित ईंधन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों के अनुरूप परिष्कृत किया जाता है।

सतत विमानन ईंधन (SAF)

- SAF पारंपरिक जेट ईंधन के लगभग समान है।
- इसे 50% तक मिश्रित कर वर्तमान विमान इंजनों और हवाई अड्डा अवसंरचना में बिना किसी संशोधन के उपयोग किया जा सकता है।

स्रोत: IE

पंचायती प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट

संदर्भ

- पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर PAI 2.0 रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2023–24) जारी की।

प्रमुख निष्कर्ष

- **97.3% भागीदारी:** 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 2.59 लाख ग्राम पंचायतों ने सत्यापित डेटा प्रस्तुत किया।
- 3,635 पंचायतें अग्रणी (Front Runners) के रूप में वर्गीकृत।
- 1.18 लाख पंचायतें (≈45.7%) प्रदर्शनकर्ता (Performer) श्रेणी में।
- **शीर्ष प्रदर्शन विषय:**
  - गरीबी-मुक्त एवं आजीविका संवर्धन।
  - स्वस्थ पंचायतें।

PAI 2.0 के बारे में

- यह भारत का प्रथम राष्ट्रव्यापी डेटा-आधारित ढाँचा है, जो ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
- इसमें 150 संकेतक और 230 डेटा बिंदु शामिल हैं।
- यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के अनुरूप है।
- नौ प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन करता है: गरीबी, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल, पर्यावरण, अवसंरचना, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण।
- पंचायतों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - अचीवर (A+): 90 और उससे ज़्यादा।
  - फ्रंट रनर (A): 75 से कम 90।
  - परफॉर्मर (B): 60 से कम 75।
  - एस्पिरेंट (C): 40 से कम 60।
  - बिगिनर (D): 40 से कम।

स्रोत: PIB